

137596062
20/02

विशेष मुद्रा प्राधिकारी के अन्तर्गत
रजिस्टर्ड - पत्र

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- पेंशन प्राधि./आदेश/के-85/2016-17/ 3828

दिनांक:- 17/02/2017

श्रीमान्

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक),
आन्ध्र प्रदेश, शेफाबाद रोड,
हैदराबाद - 500004 -

विषय:- राजस्थान राज्य पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को देय महंगाई राहत आदेशों की प्रतियाँ दर 125% से 132% वृद्धि दिनांक 01.07.2016

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (Rules Division) के आदेश संख्या F.12 (3) FD (Rules)/2013 दिनांक 17.11.16 द्वारा महंगाई राहत वृद्धि के संबंध में जारी आदेशों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है ।

आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों/बैंक शाखाओं को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का श्रम करें तथा प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने का श्रम करें ।

संलग्न:-

भवदीय,



व. लेखाधिकारी/पे.प्रा.


465631

28/2/17

PM

RAF-DR-132

TR No 622



(40)

(40)
